संख्याः 937 / XXIV-3/11/01(27)11

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 30 जून, 2011

विषयः जमदग्नि पब्लिक स्कूल, हरिद्वार को सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमदग्नि पब्लिक स्कूल, हरिद्वार को सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्डरी एजुकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

–आगार

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे,संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(कवीन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 937(6)/XXIV-3/11/01(27)11तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– जिला शिक्षाधिकारी, हरिद्वार।
5– प्रधानाचार्य, जमदग्नि पब्लिक स्कूल, हरिद्वार।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

Invest Uttarakhand
Regn - Bot

संशोधन
संख्याः 50/XXIV-3/11/01(27)11

प्रेषक,

जी०पी०तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 17 जनवरी, 2012

विषयः जमदग्नि पब्लिक स्कूल, ग्राम–पीपली, लक्सर, हरिद्वार को सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्वता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 937/XXIV–3/11/01(27)11 दिनांकः 30 जून, 2011 द्वारा जमदग्नि पब्लिक स्कूल, हरिद्वार के नाम से सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति निर्गत की गई है। उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए जमदग्नि पब्लिक स्कूल, हरिद्वार के स्थान पर जमदग्नि पब्लिक स्कूल, ग्राम–पीपली, लक्सर, जनपद हरिद्वार पढ़ा जाय। उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,
(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 50/XXIV-3/11/01(27)11 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी हरिद्वार।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4– जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
5– प्रधानाचार्य जमदग्नि पब्लिक स्कूल, ग्राम–पीपली, लक्सर, जनपद हरिद्वार।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव